

Registered.

कार्यालय अपील अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिला कलक्टर) बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक :- एफ () वाचक / 2022 / 122

दिनांक :- 17/02/22

श्री आशीष

म.न. 1-सी-34 हाउसिंग बोर्ड कोलोनी


शक्ति मार्ग गली न. 2

बाँसवाड़ा (मोबाईल नं. 8905505122)

आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत यह अपील अपने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 08-12-2021 द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, (अति. जिला कलक्टर) बाँसवाड़ा द्वारा उपलब्ध नहीं कराने एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गाँधी चिकित्सालय बाँसवाड़ा द्वारा अधुरी उपलब्ध कराने के कारण यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

आप द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 08.12.2021 से चाही गई सूचना प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गाँधी चिकित्सालय बाँसवाड़ा से सम्बन्धित होने से उक्त प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उप धारा 3 के तहत लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) बाँसवाड़ा ने उनके पत्रांक 109 दिनांक 10.12.2021 से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गाँधी चिकित्सालय बाँसवाड़ा को निर्धारित समयावधि में स्थानांतरित कर आपको सूचित किया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गाँधी चिकित्सालय, बाँसवाड़ा से प्राप्त अधुरी सूचना के सन्दर्भ में सम्बन्धित के प्रथम अपीलीय अधिकारी निदेशक, जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान, जयपुर है। अतः आप सम्बन्धित अपील अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करें। यह अपील निरस्त की जाती है।

सूचित हो।


(अंकित कुमार सिंह) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)